न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/380

1. मीनाक्षी पत्नी सीताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम अंधेड तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. रामकंवर पत्नी धन्ना लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम अंधेड तहसील एवं जिला बून्दी।
3. रतन बाई पत्नी रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम अंधेड तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. अयोध्या बाई पत्नी जोधराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम अंधेड तसहील एवं जिला बून्दी
5. हीरा बाई पत्नी दुर्गालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम अंधेड तहसील एवं जिला बून्दी।
6. भूरी बाई पत्नी हीरा लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम अंधेड तहसील एवं जिला बून्दी।
7. माना बाई पत्नी उदा लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम अंधेड तहसील एवं जिला बून्दी।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सोसर आयु बालिग पत्नी श्री गोपाल लाल जाति गुर्जर निवासी अंधेड तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री आशुतोष शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद विभाजन भूमि का ग्राम अंधेड तहसील एवं जिला बून्दी की कुल 24 किता की रकबा 25.19 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 हिस्सा बताते हुए वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार बून्दी को मौका कमीश्नर नियुक्त करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रस्तुत वाद में अपीलान्ट की विधिवत तलबी बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल पक्षकारान की सहमति वाले प्रकरणों को ही निर्णित किया जाता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था और वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड को देखते हुए पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित हो कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने में त्रुटि की हो । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभाजन भूमि का वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णय पारित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । जहॉ पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है वहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर ही होना चाहिए । राजस्व लोक अदालत में केवल सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किये जा सकते है, प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रकरण को गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा